

## वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

### सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।  
3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।  
4.1 से 4.4, 4.8.4.12 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।  
4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।  
4.9 से 4.11 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।

### सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।  
2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

### सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के “रिजर्व टैम्पलेट” के अंतर्गत परिपक्वता वार बकाया फॉर्वरड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

### सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्विजम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

### सारणी सं. 6

- अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।  
2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

### सारणी सं.7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

### सारणी सं.8

- एनएम<sub>2</sub> और एनएम<sub>3</sub> में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।  
2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल है।  
2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

### सारणी सं.9

वित्तीय संस्थाओं में एक्विजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।  
एल<sub>1</sub> और एल<sub>2</sub> मासिक आधार पर और एल<sub>3</sub> तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।  
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

### सारणी सं.15

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कुल दिये गये खाद्येतर ऋण के 95 प्रतिशत शामिल है।

1.2ए.2.1 : विनिर्माण ₹335 बिलियन शामिल है और मद 1.2ए.2.2: सेवाओं में केवल मार्च 2014 माह के लिए मझौले उद्यमों के ₹34 बिलियन ऋण शामिल है।

### सारणी सं.17

- 2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।  
2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।  
4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

### सारणी सं.24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

### सारणी सं.30

- प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।  
1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।  
2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी-अधिमान शेयर शामिल हैं।

**सारणी सं.32**

आईआईएफ सी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा शामिल नहीं हैं। अमरीकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिजर्व में रखी गैर-यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग येन और ऑस्ट्रेलियन डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमरीकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

**सारणी सं.34**

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूंजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है। हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आंकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

**सारणी सं.35**

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

**सारणी सं.36**

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक। 6-मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2012-13 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

**सारणी सं.37**

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

**सारणी सं.38, 39, 40 और 41**

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

**सारणी सं.43**

1.3 : बहुपक्षीय निवल निपटान समूहों से संबंधित है।

3.1: नई दिल्ली और चेन्नै - दो केन्द्रों से संबंधित है।

3.3 : 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित है।

6: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।

7: आईएमपीएस लेनदेन शामिल हैं।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।